राजस्व अपील सं. :– 06/2025
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/247

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :– 06/2025

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/247

अपीलार्थी :–

1. पूनम देवी पुत्र ईश्वरदास उम्र 49 वर्ष जाति साद, निवासी लूणा, जोधपुर।

ब ना म्

प्रत्यर्थीगण :–

1. अचलदास पुत्र स्व. श्री हनुमानदास
2. पुखदास पुत्र स्व. श्री हनुमानदास
3. भंवरदास पुत्र स्व. श्री हनुमानदास
   निवासीगण–जीएसएस, सादो की ढाणी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
4. तहसीलदार ओसियां।
5. उपपंजीयक अधिकारी, ओसिया।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 786 दिनांक 07.06.2021 जो तहसीलदार ओसियां द्वारा पारित किया गया को निरस्त फरमाये जाने हेतु।

उपस्थिति–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह शाक्य।
2. रेस्पोडेंट्स संख्या 01 से 3 व 5 के विरूद्व अनुपस्थित
3. रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से सरकारी पैरोकार।

:–निर्णय :– दिनांक 16/2/26

अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि यह है कि अपीलार्थिनी के पिता हनुमानदास पुत्र भवानीदास जाति साद की सहखातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम सिल्ली, पटवार हल्का किंजरी भू.अ.नि. क्षेत्र तापू, तहसील ओसिया में आई हुई है जिसका विवरण– खसरा नं. 45 क्षेत्रफल 12.0515 बारानी द्वितीय, खसरा नं. 45/1

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

क्षेत्रफल 0.0162 बारानी द्वितीय, खसरा नं. 45/2 क्षेत्रफल 0.0324 बारानी द्वितीय, खसरा नं. 45/3 क्षेत्रफल 0.0162 बारानी द्वितीय, खसरा नं. 62 क्षेत्रफल 1.7240 बारानी द्वितीय, खसरा नं. 73/2 क्षेत्रफल 0.0243 गे.मु.ढाणी, खसरा नं. 73/3 क्षेत्रफल 0.0162 गे.मु.ढाणी है। अपीलार्थिनी के पिता हनुमानदास फौत हो चुके है, जिनका देहान्त दिनांक 15.03.2016 को हो चुका है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार से है:–

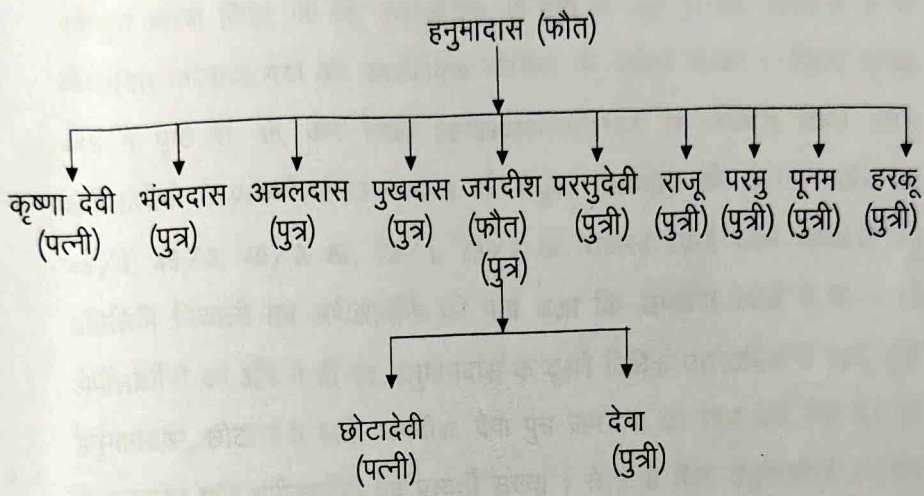

अपीलार्थिनी के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 जो कि अपीलार्थिनी के सगे भाई है, ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए एवं गलत सूचना देते हुए अपीलार्थिनी की विधिक वारिसान होने के नाते सहखातेदारी की भूमि में नामान्तरकरण संख्या 786 प्रभारी अधिकारी राजस्व तहसीलदार के आदेश दिनांक 07.06.2021 में नामान्तरकरण गलत रूप से एवं अविधिक वारिसान के रूप में करवा लिया और अपीलार्थीनी का नाम छिपा दिया जबकि हनुमानदास की पुत्री होने के नाते अपीलार्थिनी का नाम नामान्तरकरण में दर्ज होने का अधिकार रखती है। मात्र प्रत्यर्थी 1, 2 व 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के आदेश होते ही प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर नामान्तरकरण स्वीकृत कर लिया गया जो विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त एवं निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि अपीलार्थीनी भी मृतक हनुमानदास की पुत्री होने के नाते विधिक उत्तराधिकारी के रूप में नामान्तरकरण आदेश 786/07.06.2021 में नाम दर्ज करवाने की हकदार है फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 ने अपीलार्थीनी का नाम छिपाया है जो न्यायसंगत नही है एवं विधि विरूद्ध है तथा तहसीलदार ने भी इस तथ्य की अनदेखी की है व प्रस्तुत दस्तावेजात की पूर्ण जांच नही की है और उक्त नामान्तरकरण आदेश स्वीकृत कर जारी किया गया जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार ओसिया के कार्यालय में उक्त नामान्तरकरण आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

का आवेदन प्रस्तुत किया जो कि अपीलार्थीनी को दिनांक 24.12.2024 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई तब अपीलार्थीनी को पता चला कि प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 का नाम उक्त नामान्तरकरण आदेश में दर्ज किया हुआ है जो कि विधि विरूद्ध है। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 ने गलत दस्तावेज हकतर्कनामा स्व. हनुमानदास की मात्र 04 पुत्रियां किशनी, परमुडी, परशुदेवी एवं राजूदेवी द्वारा अपने पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से निष्पादित करवाकर तहसीलदार ओसियां से अपने पक्ष में उक्त नामान्तरकरण आदेश स्वीकृत करवा लिया, जो कि उपपंजीयक ओसिया के यहां दिनांक 09.07.2019 को निष्पादित करवाया गया जो उपपंजीयक ओसिया के पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 415 में पृष्ठ सं. 46, कम संख्या 2019903077101137 पर पंजीबद्ध किया गया। अपीलार्थीनी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की खसरा संख्या 45, 45/1, 45/2, 45/3, 62, 73/1, 73/2 का राजस्व रेकर्ड यानि जमाबंदी की प्रतिलिपि निकाली तब अपीलार्थीनी को पता चला कि जमाबंदी रेकर्ड में भी न तो अपीलार्थीनी का और न ही स्व. हनुमानदास के दूसरे विधिक उत्तराधिकारी हरकू पुत्री हनुमानदास, छोटा देवी पत्नी जगदीश, देवा पुत्र जगदीश का नाम दर्ज नही है। पूर्व में वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीनी एंव प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता हनुमानदास के नाम पर दर्ज थी जिन्होने अपने जीवनकाल में अपीलार्थीनी की जानकारी के अनुसार अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पति के संबंध में कोई वसीयत, दान एवं विलेख निष्पादित नही की तथा न ही अपनी जायदाद किसी भी व्यक्ति विशेष को बख्शीश की। अपील के अंत में अपीलार्थीनी द्वारा नामान्तरकरण संख्यास 786 दिनांक 07.06.2021 को निरस्त की जाने की इस्तदुआ की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थीगण के नोटिस तामिल प्राप्त हुए। प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित। अपीलार्थीनी के अधिवक्ता ने लिखित बहस स्थगन व मौखिक बहस की। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थीनी द्वारा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अपील के लंबित रहने तक अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 786 के जरिये विवादग्रस्त भूमि के किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण, अन्तरण एवं किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने पर रोक लगाने एवं यथास्थिति के आदेश हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया। लिखित बहस में आगे बतलाया कि अपीलार्थीनी के पिता हनुमानदास के देहान्त दिनांक 15.03.2016 के बाद स्व. हनुमानदास के प्रथम श्रेणी के विधिक उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अचलदास, पुखदास, भंवरलाल व पांच पुत्रियां किशनी, परमुडी, परशुदेवी, राजूदेवी व अपीलार्थीनी खुद पूनमदेवी है। उक्त विधिक उत्तराधिकारी वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक इंच व हिस्से पर एक समान

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

बराबर–बराबर हक, हिस्से के संयुक्त हिस्सेदार है परन्तु स्व. हनुमानदास के तीन पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में अन्य चार बहने किशनी, परमुडी, परशुदेवी, राजूदेवी से स्वयं के पक्ष में हकतर्कमाना का दस्तावेज दिनांक 09.07.2019 को पंजीबद्ध करवा लिया और राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर वादग्रस्त भूमि ग्राम सिल्ली के खसरा संख्या 45, 45/1, 45/2, 45/3, 62, 73/2 व 73/3 कुल 07 खसरान में कुल रकबा 13.8808 हैक्टेयर पर स्वयं का स्वामित्व बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 786 दर्ज करवा लिया जबकि अपीलार्थीनी भी वादग्रस्त भूमि में स्व. हनुमानदास के अन्य विधिक उत्तराधिकारियों के समान हक, हिस्से की हकदार है और वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में स्व. हनुमानदास के अन्य विधिक उत्तराधिकारियों के समान अपीलार्थीनी का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अचलदास, पुखदास, भंवरलाल की राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत के चलते स्व. हनुमानदास के विधिक उत्तराधिकारी/कायम मुकाम की बिना जांच/प्रमाण किए वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 786 अप्रार्थी 1 से 3 के नाम से अविधिक रूप से दर्ज कर दिया गया जो अपीलार्थी के हितों एवं अधिकारों के विपरित है जिससे अपीलार्थीनी को जो क्षति कारित होगी उसका मूल्यांकन किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नही है। बहस के अंत में वकील अपीलांट की अपील को स्वीकार कर किया जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अपील निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5, परिसीमा अधिनियम का निर्णय किया जाना उचित समझते है, अपीलांट वकील द्वारा अपील देरी से पेश करने के जो कारण बताये है, वे सदभाविक होने से अपीलार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्द मियाद शुमार की जाती है एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में अन्य चार बहने किशनी, परमुडी, परशुदेवी, राजूदेवी से स्वयं के पक्ष में हकतर्कमाना का दस्तावेज दिनांक 09.07.2019 को पंजीबद्ध करवा लिया जिसमें अपीलार्थीनी के ब्यौरा या सहमति नही थी तथा तहसीलदार द्वारा स्व. हनुमानदास के विधिक उत्तराधिकारी/कायम मुकाम की बिना जांच/प्रमाण किए वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 786 अप्रार्थी 1 से 3 के नाम से दर्ज कर दिया गया जो विधि अनुसार एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विरूद्ध किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीनी की अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपुर्यक्त विवेचनानुसार अपीलार्थीनी की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार ओसियां के नामान्तरकरण संख्या 786 दिनांक 07.06.2021 को

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार ओसियां को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जता है कि उपरोक्त प्रकरण में मृतक हनुमानदास के समस्त विधिक उत्तराधिकारियों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करे। मूल रिकॉर्ड पुनः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को लौटाया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

निर्णय आज 16/2/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
(द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर